Need to include basic legal education in school curriculum.-laid*

श्री दर्शन सिंह चौधरी **(**होशंगाबाद**) :** वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के कई नौजवान मूलभूत कानून की जानकारी के अभाव में अनजाने में अपराध कर बैठते हैं और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक वे अपने जीवन को अंधकारमय स्थिति में पाते हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि बालकों द्वारा किए जाने वाले विधि विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु कक्षा 12 वीं तक के विद्यार्थियों को देश के कानून की मूलभूत समझ विकसित करने से संबधित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए । कक्षा 12 वीं तक के विद्यार्थियों को विधि के महत्वपूर्ण विषय पढ़ाने के संबंध में कोई योजना बनाई जाए एवं यदि इस दिशा में कोई नीति निर्माण हो रहा हो, तो कृपया अवगत कराने की कृपा करें । मेरा मानना है कि बेसिक लीगल एजुकेशन विद्यार्थियों को न केवल कानूनी जागरूकता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें एक सजग और जिम्मेदार नागरिक बनने में भी सहायक होगी । इसी प्रकार से इन विद्यार्थियों को कृषि से संबंधित विषयों का अध्ययन भी करवाना अनिवार्य होना चाहिए जिससे युवाओं को अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके ।